न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 69 / 2012

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भोजराजसिंह पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी रामासनी हाल हायर सैकेण्डरी स्कूल, सोजत		1 हेमाराम पुत्र मालाराम 2 गजरादेवी पत्नि हेमाराम जाति घांची निवासी पाली दरवाजा, सोजत सिटी 3 सोहनलाल पुत्र गोराराम 4 सोहनीदेवी पत्नि कुताराम 5 शिवलाल पुत्र कुताराम 6 मंजूदेवी पुत्री कुताराम 7 रामचन्द्र पुत्र गोराराम 8 कानाराम पुत्र गोराराम 9 लीला बेवा गोपाराम 10 प्रेम पुत्री गोपाराम 11 प्रकाश पुत्र गोपाराम 12 ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम 13 खेताराम पुत्र छैलाराम जातिगण घांची निवासीगण सोजत सिटी जिला पाली 14 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थिति –

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री चन्द्र प्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.11.2017

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की अपील खारिज कराने का निवेदन

किया। प्रार्थना पत्र की नकल वकील अपीलाण्ट को दिलाई गई। वकील अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 26.09.2012 को प्रस्तुत की है। इस अपील में वणित भूमि में अपीलाण्ट न तो सह खातेदार है तथा न ही अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा निहित है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलाण्ट द्वारा अपने हक अधिकारों बाबत किसी प्रकार का अभिवचन, जवाबदावा, साक्ष्य न तो पेश किया तथा न ही साबित किया। अपीलाण्ट मात्र प्रतिवादी खेताराम के साथ बाहुबली के रूप में रहकर व्यर्थ लडाई झगडा कर सह खातेदारों को डराने धमकाने का कार्य करता था, इसलिये मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पक्षकार बनाया गया था। इससे अधिक अपीलाण्ट का उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई आदेश पारित नही किया गया है। इसलिये अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नही है तथा अपीलाण्ट की कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादस्थ भूमि के सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 7 से 10 द्वारा राजीनामा दिनांक 15.03.2011 को एवं अपीलाण्ट के प्रिन्सीपल सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 11 खेताराम द्वारा दिनांक 30.09.2009 को न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्रभावी पैरवी नही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विरूद्ध दिनांक 18.07.2008 को एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में दिनांक 18.05.2011 को राजस्व लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, जिसके दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मुख्य विरोधी पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। विधिअनुसार ऐसे प्रकरणों में धारा 96 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई अपील प्रस्तुत नही कीजा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त स्थिति को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार अपील पोषणीय नही होने पर भी गलत रूप से अपील पेशकर तथा स्थगन प्राप्त कर अपीलाण्ट प्रकरण को जानबूझ कर विलम्बित रखना चाहता है। चूंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि में से कुछ हिस्सा कैलाश सांखला को विक्रय किया गया है तथा कैलाश सांखला द्वारा उक्त भूमि का भू उपयोग परिवर्तन किया जाकर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु कार्य किया जा रहा है तथा लाखों रूपये व्यय कर चुका है। उक्त तथ्य अपीलाण्ट की जानकारी में होने से अपीलाण्ट द्वारा बाले बाले तथ्य छुपाकर दिनांक 20.01.2016 को इस न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर कार्य रोक दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जो खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 26.10.2016 को निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित कर 6 माह में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश पारित किये है। अपीलाण्ट किसी प्रकार से इस प्रकरण में हितबद्ध नही होने के बावजूद प्रकरण को लम्बा करने का प्रयास कर रहा है। अपीलाण्ट ने स्वयं अपनी अपील के पद संख्या 2 में यह अंकित किया है कि खेताराम का उक्त भूमि पर न तो कब्जा है तथा न ही कृषि भूमि है। खेताराम द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट की पत्नि को बेचान की है, जो अपील में पक्षकार नही है। खेताराम का अब इस प्रकरण में कोई सरोकार नही है। इस कारण खेताराम के का0मु0 को इस प्रकरण में पक्षकार बनाने की आवश्यकता ही नही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के तहत यदि मृत पक्षकारों के का0मु0 के पक्ष में वादकरण शेष रहने पर ही उन्हे बतौर विधिक वारिशान पक्षकार बनाया जा सकता है। चूंकि खेताराम द्वारा वादी से राजीनामा कर दिया गया था तथा खेताराम के विधिक वारिशान द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है। इसलिये उन्हे कायम मुकाम के रूप में पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नही है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील मात्र हैरान व परेशान करने के लिये ही प्रस्तुत की है। इसके अलावा अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक अधिकार नही है। वर्ष 2012 से विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है, जो एक अजनबी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार का प्रकरण न्यायालय के समक्ष क्षणमात्र के लिये भी पोषणीय नही है। इस प्रकार के प्रकरणों को धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत भी खारिज किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 350, डब्ल्यु0एल0सी0 2008 (3) पेज 534, ए0आई0आर0 1977 पेज 2421, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1118, आर0आर0टी0 2014–1 पेज 496, आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 103, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 397, डी0एन0जे0 (राज) 2010 (1) पेज 421, आर0जे0टी0 2010 (1) पेज 23, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 399, एस0सी0सी0 2004 पेज 191, डी0एंन0जे0 (राज.) 2007(3) पेज 1696, आर0आ0टी0 2015 (1) पेज 103. आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 536 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा तीन माह पूर्व की अपनी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। खेताराम फौत होने के कारण खेताराम के वारिशान की तलबी में पत्रावली नियत है, जिनकी तलबी होना शेष है तथा अपीलाण्ट द्वारा इनकी तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश किये गये है, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिन तथ्यों का प्रार्थना पत्र दिया गया है, वे मेरीट से सम्बन्धित हैं। जैर अपील आदेश की भूमि अपीलांण्ट द्वारा क्रय की गई है, इसलिये इस भूमि में अपीलाण्ट के हक निहित हैं। इस कारण अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति की आवश्यकता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नही है। धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र उस स्थिति में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में अपील विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को अपील की मेरिट के समय देखा जाना है। रेस्पोडेन्ट अपील को गुणांवगुण पर निर्णित नहीं करवा कर धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णित करवाना चाहते है, जो विधि सम्मत नही है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत हस्तगत अपील को खारिज कराने का निवेदन किया है। प्रकरण में विधिक स्थिति यह बनती है कि प्रथम – क्या अपीलाण्ट इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिसको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हो ? द्वितीय – क्या इस अपील को धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत ही निस्तारित किया जा सकता है ? उक्त दोनों ही प्रकरण में होने वाली आगामी कार्यवाही के आधार बिन्दु हैं। प्रथम बिन्दु यह प्रकट हुआ है कि अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में हेमाराम पुत्र मालाराम व गजरादेवी पत्नि हेमाराम द्वारा दिनांक 04.07.2008 को धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में श्री भोजराजसिंह को प्रतिवादी संख्या 12 संयोजित किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 12 की प्रस्थिति मात्र प्रतिवादी संख्या 11 के सहयोगी के रूप में संस्थित है। इसके अतिरिक्त उनका इस वाद में किसी प्रकार का सरोकार नही पाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील के चरण संख्या 2 में यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 581/2 रकबा 0.8366 हैक्टेयर में खेताराम का 4735/8366 हिस्सा दर्शाया गया है, जबकि खेताराम का बमौका न तो कब्जा है तथा न ही कृषि भूमि ही है। खेताराम द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा अपीलाण्ट को कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। इसलिए तहसीलदार को बंटवाड़े में खेताराम का नाम दर्ज नहीं कर अपीलाण्ट का नाम दर्ज करना था, जो नही किया गया। इन तथ्यों के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, जो अपीलाण्ट के इन कथनों की ताईद करते हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया कंचन कंवर द्वारा अपने आपको खेताराम की भूमि का क्रेता बताते हुए इस अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित कराने का निवेदन किया तथा साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25.06.2010 की प्रति प्रस्तुत की। इससे अपीलाण्ट का यह कथन निष्प्रभावी हो चुका है कि उक्त भूमि में से खेताराम के हिस्से की भूमि अपीलाण्ट द्वारा क्रय की गई हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.07.2008 को वाद प्रस्तुत किया गया है तथा खेताराम द्वारा दिनांक 25.06.2010 को कंचन कंवर के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये विक्रय किया गया है। इस प्रकार वाद विचारण के दौरान ही भूमि का हस्तान्तरण किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में सम्पति का जो हस्तान्तरण हुआ है, वह वाद विचारण के दौरान हुआ है, इस हेतु सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 का विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जो इस प्रकार है – 52. Transfer of property pending suit relating thereto -- During the pendency in any Court having authority within the limits of India excluding the State of Jammu and Kashmir or established beyond such limits by the Central Government of any suit or proceeding which is not collusive and in which any right to immovable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with any party to the suit or proceeding so as to affect the right of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the Court and on such terms as it may impose.

Explanation -- For the purpose of this section, the pendency of a suit or proceeding shall be deemed to commence from the date of the presentation of the plaint or the institution of the proceesing in a Court of competent jurisdiction, and to continue until the suit or proceeding has been disposed off by a final decree or order and complate satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained, or has become unobtainable by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0जे0टी0 2010 (1) पेज 23 में प्रतिपादित किया कि " सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 1, नियम 10– सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882–धारा 52–वाद लम्बन के दौरान सम्पति का अन्तरण–वाद पेश करने के बाद याची ने सम्पति क्रय की–वाद में उसे पक्षकार बनाने हेतु पेश आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा खारित किया गया–वाद विचाराधीन होने के दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना सम्पति अन्तरित नहीं की जा सकती–वाद अथवा कार्यवाही का विचाराधीन होना वादपत्र के उपसंजान करने अथवा कार्यवाही के संस्थित करने की दिनांक से प्रारम्भ होना माना जायेगा– धारा 52 के प्रावधान आकृषित होते हैं।"इस सम्बन्ध में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वादी अपने वाद का स्वयं मालिक होता है तथा वादी के इच्छा के विपरित किसी अन्य को पक्षकार नही बनाया जा सकता है। यदि विवादित आराजी में किसी व्यक्ति के कोई हक व अधिकार हो तो वह अपने हक व अधिकारों की घोषणा कराने बाबत पृथक से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। एक सह खातेदार द्वारा अपना हिस्सा तथाकथित विक्रय पत्र से बेचान करने के उपरान्त बंटवारे के दावे में क्रेता को पक्षकार बनाया जाना वादी की इच्छा पर निर्भर करता है तथा विक्रेता को विवादित आराजी में जो अधिकार प्राप्त होंगे, वही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधिकार क्रेता को प्राप्त हो सकते है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 103 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– आदेश 1 नियम 10– पक्षकार का संयोजन– रेस्पोडेन्ट संख्या 22 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में उसे पक्षकार बनाने हेतु आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया–आवेदन स्वीकार किया–निगरानी–वाद में विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश नही किया–प्रार्थी पृथक वाद पेश करने को स्वतन्त्र है – निर्णित, अपीलीय स्तर पर प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया जा सकता है।'' इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 397 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 1 नियम 10 – पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती को पक्षकार बनाने हेतु याचिका – वाद विचाराधीन होने का सिद्धान्त लागू होगा– पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती की उपस्थिति आवश्यक नहीं है– निर्णीत, आदेश में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटी नहीं है।'' चूंकि प्रकरण में यह धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका है, जिस पर निर्णय से अपील प्रभावित होगी तथा यदि प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय से अपील निस्तारित ही हो जाती है, तो अनावश्यक रूप से बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित किये जाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। इस कारण कानूनी बिन्दु निहित होने से धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय वाद में जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, उसमें भी अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 12 भोजराजसिंह किसी भी रूप में न तो व्यथित है तथा न ही हितबद्ध। वाद में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई है, उसको साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 11 पर था। प्रकरण से सम्बन्धित भूमि के राजस्व रेकर्ड का भी अवलोकन किया जाए, तो अपीलाण्ट न तो उक्त भूमि का सह–खातेदार दर्ज है तथा न ही अपीलाण्ट भोजराजसिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हितबद्ध माना तथा जो निर्णय पारित किया, उससे अपीलाण्ट किसी भी रूप से प्रभावित नहीं था। इस स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा इस अपील के जरिये जैर अपील आदेश से स्वयं को व्यथित होने का जो कथन किया गया है, वह तथ्यों से भिन्न एवं सत्य से परे प्रतीत होता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित व्यक्ति अपने हितों की रक्षा हेतु अपीलीय न्यायालय में उस निर्णय को चुनौती दे सकता है, जिससे उसके हित प्रभावित हुए हों। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट ही नहीं हुआ है, जिससे अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात हुआ हो। इस प्रकार अपीलाण्ट हस्तगत अपील में किसी भी रूप में हितबद्ध पक्षकार नहीं पाया जाता है तथा एक अजनबी व्यक्ति द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति के हस्तगत अपील प्रस्तुत किया जाना साबित होता है। प्रकरण में जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, वह पक्षकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

की सहमति के आधार पर जारी की गई है तथा उसी अनुक्रम में अन्तिम डिक्री जारी की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 350 में प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 97 प्रारम्भिक डिक्री – प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को व्यथित पक्षकार द्वारा आक्षेपित नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण पर यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में डिक्री एवं आदेश में वर्णित पक्षकारो में से किसी भी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 (3) में यह प्रावधान है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई है, उसकी कोई अपील नहीं होगी। इस प्रकार एक अजनबी व्यक्ति, जिसका उक्त निर्णय से कोई हित प्रभावित नही होता, उसके द्वारा की गई अपील पोषणीय नहीं पाई जाती है। अब रहा प्रश्न यह कि क्या इस अपील को धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत ही निस्तारित किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यु0एल0सी0 2008 (3) में यह अभिनिर्धारित किया कि "कोई तुच्छ वाद यदि आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज न किया जा सके, तो उसे धारा 151 के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है।" इसी निर्णय के पैरा संख्या 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the Suit is abuse of process of the court and cannot be dismissed under Order 7 Rule 11 CPC, then the court is not helpless and can accordingly invoke the powers under Section 151 CPC and can dismiss the suit under Section 151. Frivolous litigations are required to be nipped in the bud at the earliet possible stage otherwie no relief to rhe aggrieved party because of the reason that soe object of the frivolous litigation is to drag adversary in the litigation till it is dismissed consuming serveral years in trial" इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के प्रकरणों को धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत भी निस्तारित किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की विधिक बाधा नही है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तुच्छवाद की श्रेणी की पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तुच्छ श्रेणी में आने तथा अपीलाण्ट के प्रकरण की Locus Standi नही होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली